

(50/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

// शपथ पत्र //

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवास
.....छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक
पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में आबंटित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम हेतु
अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।

मेरे द्वारा स्कूटनी में प्रस्तुत किये मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेज
मेरी जानकारी अनुसार सत्य और सही है यदि इनमें कोई दस्तावेज असत्य/झूठे पाये जाते हैं तो मेरी
जिम्मेदारी होगी तथा मेरे द्वारा कोई भी सुसंगत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

उपरोक्त में यदि कोई न्यूनतः या झूठे प्रमाण पत्र पाये जाते हैं तो मेरा प्रवेश निरस्त सहित
आवश्यक अपराधिक एवं कानूनी कार्यवाही करने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगा तथा मूझे इसमें कोई आपत्ति
नहीं है।

गवाह :-

1.
2.

हस्ताक्षर
आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह न.
1 का फोटो
(नोटरी स्टॉप
फोटो के अंदर
होना चाहिए)

गवाह न.
2 का फोटो
(नोटरी स्टॉप
फोटो के अंदर
होना चाहिए)

आवेदक का
फोटो (नोटरी
स्टॉप फोटो के
अंदर होना
चाहिए)

नोट : एक गवाह आवेदक पालक/माता/पिता में से कोई एक होना आवश्यक है।

शपथ पत्र

आरक्षित सीट पर प्रवेशित/चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आ0 उम्र..... वर्ष.....
व्यवसाय निवासी..... तहसील..... जिला
राज्य..... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि -

1. मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट/लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।
2. मेरा चयन आरक्षित सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।
3. मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में
..... (प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।
5. कदाचित उपर्युक्त प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जाँच करती है अथवा गहन जाँच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जाँच व पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित सीट के अध्ययधीन मेरा प्रवेश /चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित शैक्षणिक संस्था/राज्य शासन का नाम)..... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू-राजस्व के बकाया की भौति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/आत्मजा सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ।

हस्ताक्षर

अनुमोदित
22/11/17